

NOTIFICATION

Dated Patna, the  
S.O. No. \_\_\_\_\_ in exercise of powers conferred by sub-section (1) of  
section 21 of the Bonded Labour System Abolition Act, 1976 (Act 19 of 1976),  
the Governor of Bihar is pleased to confer, on all district Magistrates and sub-  
divisional Magistrates in the State of Bihar, the powers of a judicial magistrate of  
the first class for the trial of offences under the said Act in their respective  
jurisdictions.

13/BL-3024/86 L&E-99 dated 27-02-87  
By order of the Governor of Bihar,  
Sd/-

Under Secretary to Government

ज्ञाप सं0- 13/बी0एल0-3024/86-श्र0नि0-100, पटना, दिनांक 27.02.87  
प्रतिलिपि - उप सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ अग्रसारित ।

ह0/-  
(वरदा कान्त घोषपाल)  
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञाप सं0- 13/बी0एल0-3024/86-श्र0नि0 100, पटना, दिनांक 27.02.87  
प्रतिलिपि - सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला  
पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, बिहार को सूचनार्थ  
अग्रसारित ।

ह0/-  
(वरदा कान्त घोषपाल)  
सरकार के अवर सचिव ।

**Source:**

Received under Right to Information, Govt. of Bihar

बिहार सरकार  
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ।

अधिसूचना

पटना, दिनांक  
एस0ओ0 बंधक मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (19/1976) की धारा-21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मामलों के निपटारा के लिए इस राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों तथा सभी अनुमंडल मजिस्ट्रेटों को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करते हैं जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपने क्षेत्रों के मामलों की सुनवाई करेंगे :-

संख्या -13/बी0एल0-3024/86-श0निर-०८

बिहार राज्यपाल के आदेश से

501

४०/-

रारकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

पटना, विनांक  
का अंगैजी में त्रिभुवन

अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अधीन (अंग्रेजी) भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

संख्या -13/बी०एल०-३०२४/८६-श०नि०-११

बिहार राज्यपाल के आदेश से

五〇一

(वरदा कान्त घोषपाल)

सरकार के अवर संघित ।